

**न्यायालय: श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य
न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड, जिला बड़वानी (म0प्र0)**

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 165 / 2012
संस्थान दिनांक 18.04.2012

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र अंजड,
जिला-बड़वानी म0प्र0

-----अभियोगी

वि रू द्ध

1. श्यामा पिता करवन, आयु 45 वर्ष
निवासी- ग्राम डोंगरगाँव, थाना सिलावद
2. नानु पिता किशन, आयु 60 वर्ष
3. दयाराम पिता नानु, आयु 40 वर्ष
दोनों निवासी-ग्राम वाल्यापानी,
थाना सिलावद, जिला बड़वानी म.प्र.

-----अभियुक्तगण

// नि र्ण य //

(आज दिनांक 23.09.2015 को घोषित)

1. पुलिस थाना अंजड द्वारा अपराध क्रमांक 54 / 2012 अंतर्गत 381 भा.द.सं. में दिनांक 18.04.2012 को प्रस्तुत अभियोग पत्र के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध दिनांक 02.03.2012 को समय प्रातः 4:00 बजे फरियादी का कोठार ग्राम बोरलाय में फरियादी सुरेशचन्द्र मुकाती के नौकर होते हुए इस रूप में नियोजित हैसियत से उक्त फरियादी के आधिपत्य से लगभग 50 किलो कपास मूल्य 2000/- रुपये को उसकी सहमति के बिना उसे बेईमानी से ले लेने के आशय से हटाकर चोरी करने के संबंध में धारा 381 भा.द.सं. के अंतर्गत अपराध विचारणीय है।

2. प्रकरण में उल्लेखनीय महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य यह है कि प्रकरण में अभियोजन साक्षी अभियुक्तों को जानते हैं तथा पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था।

3. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि फरियादी सुरेशचन्द्र ने उसकी खेती के काम के लिये नौकर श्यामा को रखा था जो उसके मकान के पीछे बने कोठार में परिवार सहित रहता था, उसी कोठार में श्यामा के ससुर नानु व श्यामा का साला दयाराम भी दो दिवस पूर्व मेहमान के तौर पर आया था व उसी कोठार में रह रहे थे। उसी कोठार में जगदीश का मकान बनने से लगभग 100 क्विंटल कपास उसके कोठार में रखा था। घटना दिनांक 02.03.2012 को प्रातः 4:00 बजे फरियादी के पास शिवराम का फोन आया और बताया कि उसके कोठार में से तीन व्यक्ति कपास की बोरी भरकर ले जा रहे हैं, फिर सुरेशचन्द्र एवं जगदीश, शिवराम को साथ लेकर बताये स्थान पर जाकर देखा कि तीन व्यक्ति सफेद प्लास्टिक की बोरी में कपास भरकर सिर पर लेकर जा रहे थे, जिनको उन्होंने रोका, तो उसमें से एक सुरेशचन्द्र का नौकर श्यामा था तथा दूसरा नानु व तीसरा व्यक्ति दयाराम थे जो उन्हें देखकर भागने लगे जिनका पिछा कर घेराबंदी कर पकड़ा व तीनों अंधेरे में भागते समय पत्थरों में गिरे जिससे तीनों को शरीर पर चोटें आईं, बाद अभियुक्तों को चुराये हुए कपास को लेकर थाने आये। पुलिस ने फरियादी सुरेशचन्द्र द्वारा दी गई घटना की सूचना के आधार पर अभियुक्त श्यामा, नानु एवं दयाराम के विरुद्ध अपराध क्रमांक 54/2012 अंतर्गत धारा 381 भा.द.स. में प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रदर्शपी 7 की प्रथम सूचना प्रतिवेदन लेखबद्ध की। पुलिस ने फरियादी सुरेशचन्द्र की निशांदेही से घटनास्थल का नक्शा मौका पंचनामा प्रदर्शपी 8 बनाया। पुलिस ने अभियुक्त श्यामा से खाद की थैली में 20 किलो कपास, अभियुक्त नानु से 10 किलो कपास एवं अभियुक्त दयाराम से 20 किलो कपास जप्त कर प्रदर्शपी 1 लगायत 3 के जप्ती पंचनामे बनाये तथा फरियादी एवं साक्षियों के कथन उनके कहे अनुसार लेखबद्ध कर अभियुक्तों के विरुद्ध संपूर्ण अनुसंधान उपरांत प्रश्नगत अभियोग-पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया

4. अभियोगपत्र के आधार पर मेरे पूर्व के योग्य पीठासीन अधिकारी श्री मसूद एहमद खान, तत्कालीन न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, अंजड़ द्वारा अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 381 भा.द.सं. के अंतर्गत आरोप पत्र निर्मित कर अभियुक्तों को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्तों ने अपराध अस्वीकार किया। धारा 313 दं.प्र.सं. के परीक्षण में अभियुक्तों ने स्वयं का निर्दोष होना व्यक्त किया है तथा बचाव में कोई भी साक्ष्य नहीं देना व्यक्त किया।

5. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह है कि —

क्या अभियुक्तों ने दिनांक 02.03.2012 को समय प्रातः 4:00 बजे फरियादी का कोठार ग्राम बोरलाय में फरियादी सुरेशचन्द्र मुकाती के नौकर होते हुए इस रूप में नियोजित हैसियत से उक्त फरियादी के आधिपत्य से लगभग 50 किलो कपास मूल्य 2000/— रुपये को उसकी सहमति के बिना उसे बेईमानी से ले लेने के आशय से हटाकर चोरी की ?

यदि हाँ, तो उचित दण्डाज्ञा ?

6. अभियोजन की ओर से अपने पक्ष समर्थन में फरियादी शिवराम (अ.सा.1), सुरेशचन्द्र (अ.सा.2), जगदीश मारू (अ.सा.3), कपिल पाटीदार (अ.सा.4) एवं सहायक उपनिरीक्षक रामआसरे यादव (अ.सा.5) के कथन कराये गये हैं, जबकि अभियुक्त की ओर से अपनी प्रतिरक्षा में किसी साक्षी के कथन नहीं कराये गये हैं।

साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में

7. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में फरियादी शिवराम अ.सा.1 का कथन है कि घटना लगभग 4—5 माह पूर्व की है। सुबह लगभग 4 बजे वह खेत की ओर जा रहा था। उसने अभियुक्तों को सुरेशचन्द्र के कोठार से कपास पशु आहार की प्लास्टिक की थैली में भरकर ले जाते हुए देखा तो उसने सुरेशचन्द्र एवं जगदीश को फोन कर दिया था। सुरेशचन्द्र के कोठार में जगदीश का कपास रखा हुआ था, उसने उन दोनों को घटना बताई तो उन्होंने चोरों को घेराबंदी करके पकड़ा। साक्षी का स्पष्ट कथन है कि अभियुक्त श्यामा सुरेशचन्द्र के कोठार में मजदूरी करता था तथा अन्य अभियुक्त सुरेशचन्द्र की बहन के यहाँ काम करते थे। पुलिस ने अभियुक्त श्यामा से लगभग 20 किलो, कपास प्रदर्शपी 1 के अनुसार, नानु से प्रदर्शपी 2 एवं दयाराम से प्रदर्शपी 3 के अनुसार कपास जप्त किया था जिसके ए से ए भागों पर उसके हस्ताक्षर हैं। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि सुरेशचन्द्र एवं जगदीश उसके अच्छे मित्र हैं तथा वे खेत से शाम 8:00 बजे जाता है। साक्षी ने स्वीकार किया कि अभियुक्त श्यामा सुरेशचन्द्र के यहाँ नौकर हैं तथा शेष अभियुक्त भी सुरेशचन्द्र के यहाँ मजदूरी करते हैं। इसलिए वह तीनों को पहचानता है। साक्षी ने स्वीकार किया कि सुबह 4:00 बजे अंधेरा रहता है। साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने सुरेशचन्द्र के कोठार से 3 व्यक्तियों को 10 फीट की दूरी से निकलते हुए देखा था, जिनके पास कपास की पोटली थी। उसने

अभियुक्तों को कपास की बोरी सिर पर ले जाते हुए देखा था। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि थैलियाँ ऊपर से बंद थी। साक्षी ने स्पष्ट किया कि थैलियाँ ऊपर से खुली हुई थी और कपास दिख रहा था। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि किस अभियुक्तगण अपने सिर की थैलियाँ उसे देखकर फेंककर भाग गये थे। साक्षी ने स्वीकार किया कि अभियुक्त श्यामा और उसके परिवार के लोग सुरेशचन्द्र के कोठार में रहते थे। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने जिन व्यक्तियों को सुरेशचन्द्र के कोठार से कपास ले जाते हुए देखा था वे अभियुक्तगण नहीं थे कोई और थे। साक्षी ने यह भी स्पष्ट किया कि उसने पुलिस के सामने कपास तुलवाया था, जिनके दो बोरियों 20-20 किलो तथा एक में 10 किलो कपास था, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि वह अभियुक्तों को फंसाने के लिए असत्य कथन कर रहा है।

8. सुरेशचन्द्र असा 2 एवं जगदीश मारु असा 3 ने भी शिवराम द्वारा उनको फोन करके उनके कोठार से 3 व्यक्तियों द्वारा कपास चोरी किये जाने की सूचना दिये जाने के संबंध में कथन किये हैं। साक्षियों का यह भी कथन है कि फिर वे लोग घटनास्थल पर गये थे तो अभियुक्त पशु आहार की थैलियों में कपास चोरी करके ले जाते हुए पकड़ा था। पुलिस ने उनके सामने अभियुक्तों से उक्त कपास प्रदर्शपी 1 से 3 के अनुसार जप्त किया था, जिन पर उनके हस्ताक्षर हैं। सुरेशचन्द्र पाटीदार असा 2 का यह भी कथन है कि उसने थाने पर जाकर प्रदर्शपी 7 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाई थी और पुलिस ने प्रदर्शपी 8 का नक्शा मौका पंचनामा बनाया था। प्रदर्शपी 7 एवं 8 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में सुरेशचन्द्र पाटीदार असा 2 ने स्वीकार किया कि अभियुक्त नानु ने उसके पिता के ईलाज के लिए 8000/- रुपये उधार लिये थे, जो बाद में बढ़कर 9500/- रुपये हो गये। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसका अभियुक्त पर 9500/- रुपये लेना शेष है, इसलिए उसने अभियुक्त के विरुद्ध असत्य रिपोर्ट लिखाई है। साक्षी ने स्वीकार किया कि जब वह पहुँचा तब अभियुक्तगण थैलियाँ लेकर खड़े थे और उनसे पूछने पर अभियुक्तों ने थैलियों में कपास रखना बताया था। साक्षी ने स्वीकार किया कि अभियुक्तों को पुलिस पकड़कर थाने ले गई थी। लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि वह अभियुक्तों के विरुद्ध असत्य कथन कर रहा है।

9. जगदीश मारु असा 3 ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया कि सुरेशचन्द्र के यहाँ कपास रखा था, वह एक साथ रखा था, किसी थैली या बोरी में भरा नहीं था। साक्षी ने स्वीकार किया कि लगभग सभी किसान कपास बोते हैं और जिस थैली में कपास भरा था वह उसका या सुरेशचन्द्र का नहीं था। साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि पुलिस ने जप्तशुदा कपास की पहचान उससे नहीं कराई थी और मिलान भी नहीं कराया था। लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि वह अभियुक्तों के विरुद्ध असत्य कथन कर रहा है।

10. कपिल पाटीदार असा 4 ने वर्ष 2012 में अभियुक्तों द्वारा सुरेशचन्द्र के कोठार से जगदीश का कपास चुराकर ले जाने और उन्हें सुबह लगभग 4-5 बजे पकड़ने के संबंध में कथन किये हैं। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया कि जगदीश का कपास कौन सी कम्पनी का था उसे पता नहीं और अभियुक्तों से जो कपास जप्त हुआ वह कौन सी कम्पनी का था उसे पता नहीं।

11. रामाश्रय यादव असा 5 का कथन है कि दिनांक 02.03.12 को थाना अंजड़ के अपराध क्रमांक 54/12 की केस डायरी विचेना हेतु प्राप्त हुई थी। उसने फरियादी सुरेशचन्द्र मुकाती तथा अन्य व्यक्ति अभियुक्तों को चुराये गये कपास के साथ थाना अंजड़ लाये थे तब उसने साक्षी जगदीश एवं शिवराम के सामने थाना परिसर में अभियुक्त श्यामा पिता करचन से साक्षियों के समक्ष एक सफेद खाद की थैली में भरा रात्रि 2 कपास वजन लगभग 20 किलोग्राम प्रदर्शपी 1 के अनुसार, अभियुक्त नान से साक्षियों के समक्ष एक सफेद खाद की थैली में भरा रात्रि 2 कपास वजन लगभग 10 किलोग्राम प्रदर्शपी 2 के अनुसार तथा अभियुक्त दयाराम से उन्हीं साक्षियों के समक्ष एक सफेद खाद की थैली में भरा रात्रि 2 कपास वजन लगभग 10 किलोग्राम प्रदर्शपी 3 के अनुसार जप्त किया था। प्रदर्शपी 1 से 3 के सी से सी भाग पार उसके हस्ताक्षर हैं। उसने अभियुक्तों को थाना परिसर में ही गिरफ्तार किया था तथा ग्राम बोरलाय पहुँचकर फरियादी सुरेशचन्द्र की निशांदेही से प्रदर्शपी 8 का नक्शा मौका पंचनामा बनाया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने फरियादी एवं साक्षियों के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि जप्त कपास बाजार में आसानी से उपलब्ध हो जाता है और किसानों के घर सामान्यतः मिल जाता है। साक्षी ने स्पष्ट किया कि फरियादी अभियुक्तों को चोरी के कपास सहित थाने पर लेकर आया था। कपास कौन सा था इसकी उसने जाँच नहीं की थी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि कपास की थैली फरियादी एवं उसके साक्षी थाने पर लेकर आये थे, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि वह असत्य कथन कर रहा है।

12. इस प्रकार अभियुक्तों द्वारा फरियादी सुरेशचन्द्र के कोठार में साक्षी जगदीश का रखा हुआ कपास अभियुक्तों द्वारा चोरी करने और उन्हें चोरी के कपास सहित मौके पर ही साक्षियों द्वारा पकड़ने के संबंध में अभियोजन साक्षियों के कथन परस्पर पुष्टिकारक हैं और उसका बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में कोई भी खण्डन नहीं हुआ है। इस घटना की रिपोर्ट अभियुक्तों को चोरी के कपास सहित थाने पर लेकर सुरेशचन्द्र पाटीदार असा 2 ने दर्ज कराई और अभियुक्तों के आधिपत्य से उक्त चोरी का कपास साक्षियों के सामने जप्त किया गया था। उक्त सम्पूर्ण साक्ष्य बचाव पक्ष की ओर से कोई भी खण्डन नहीं हुआ है। साक्षियों ने यह भी स्पष्ट किया है कि अभियुक्त श्यामा

सुरेशचन्द्र पाटीदार के यहाँ नौकर है तथा शेष अभियुक्त भी सुरेशचन्द्र के खेतों में काम करते हैं। ऐसी स्थिति में अभियुक्तों का सेवक के रूप में नियोजित होते हुए सुरेशचन्द्र पाटीदार के कोठार से कपास की चोरी करना भी प्रमाणित होता है। इस प्रकार अभियोजन भा.द.स. की धारा 381 का अपराध अभियुक्तों के विरुद्ध संदेह से परे प्रमाणित करने में पूर्णतः सफल रहा है। अतः न्यायालय अभियुक्त श्यामा, नानु एवं दयाराम को भा.द.स. की धारा 381 के अपराध में दोषसिद्ध घोषित करता है।

13. प्रकरण की परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए अभियुक्तों को परीविक्षा पर रिहा करना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः सजा के प्रश्न पर सुनने के लिए निर्णय स्थगित किया जाता है।

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अंजड़, जिला—बड़वानी म0प्र0

पुनश्च:

14. सजा के प्रश्न पर अभियुक्तों एवं उनके अधिवक्ता को सुना गया। उनका यह निवेदन है कि अभियुक्तगण ग्रामीण पृष्ठभूमि के निर्धन व्यक्ति हैं तथा प्रकरण का शीघ्रतापूर्वक सामना किया है। अतः सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाये।

15. यह सही है कि अभियुक्तों ने विचारण का शीघ्रता से सामना किया है तथा चोरी की सम्पत्ति का मूल्य भी मात्र 2000/— रुपये है। अभियुक्तगण इस मामले में दिनांक 02.03.2012 से लेकर दिनांक 13.03.2012 तक निरोध में भी रहे हैं, जिसे देखते हुए अभियुक्तों को ओर अधिक कारावास से दण्डित करना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः न्यायालय अभियुक्त श्यामा, नानु उर्फ नानुराम एवं दयाराम को भा.द.स. की धारा 381 में दोषसिद्ध ठहराते हुए 10-10 दिवस के कठोर कारावास तथा रुपये 100-100 के अर्थदण्ड से दण्डित करता है। अर्थदण्ड की राशि अदा न करने की दशा में अभियुक्तगण 7-7 दिवस का कठोर कारावास पृथक से भुगतेंगे। अभियुक्तों द्वारा निरोध में बिताई गई कारावास की सजा दी गई सजा में समायोजित की जाये। अभियुक्तों के मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

16. अभियुक्तों का अभिरक्षा में रहने के संबंध में द.प्र.सं. की धारा 428 के प्रमाण पत्र बनाया जाये।
17. निर्णय की एक प्रति अभियुक्तों को अविलंब निःशुल्क दी जाये।
18. प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति कपास दिनांक 15.03.2012 उसके पंजीकृत स्वामी जगदीश पिता हीराजी, निवासी—ग्राम बोरलाय, तहसील अंजड़, जिला बड़वानी को सुपुर्दगीनामे पर दिया गया।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़ जिला—बड़वानी, म0प्र0

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला—बड़वानी, म0प्र0

न्यायालय: श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक
मजिस्ट्रेट, अंजड़, जिला-बड़वानी म0प्र0

// धारा 428 द.प्र.सं. के अंतर्गत //

मैं श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़ म0प्र0 आपराधिक प्रकरण क्रमांक 165/2012 (शासन पुलिस अंजड़ विरुद्ध श्यामा आदि) में नीचे लिखे अनुसार अभियुक्त की निरोध अवधि का प्रमाण पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत करता हूँ—

अभियुक्त का नाम :- श्यामा पिता करवन, आयु 45 वर्ष
निवासी— ग्राम डोंगरगौव,
थाना सिलावद, जिला बड़वानी म.प्र.

गिरफ्तारी की दिनांक :- 02.03.2012

पुलिस रिमाण्ड की दिनांक :- निरंक

न्यायिक अभिरक्षा में दिनांक 02.03.2012 से 13.03.2012 तक अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में रहे हैं। इस प्रकार अभियुक्त ने न्यायिक अभिरक्षा में कुल 11 दिवस बिताये हैं।

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अंजड़, जिला-बड़वानी म0प्र0

न्यायालय: श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक
मजिस्ट्रेट, अंजड़, जिला-बड़वानी म0प्र0

// धारा 428 द.प्र.सं. के अंतर्गत //

मैं श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़ म0प्र0 आपराधिक प्रकरण क्रमांक 165/2012 (शासन पुलिस अंजड़ विरुद्ध श्यामा आदि) में नीचे लिखे अनुसार अभियुक्त की निरोध अवधि का प्रमाण पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत करता हूँ-

अभियुक्त का नाम :- नानु पिता किशन, आयु 60 वर्ष
निवासी-ग्राम वाल्यापानी,
थाना सिलावद, जिला बड़वानी म.प्र.

गिरफ्तारी की दिनांक :- 02.03.2012

पुलिस रिमाण्ड की दिनांक :- निरंक

न्यायिक अभिरक्षा में दिनांक 02.03.2012 से 13.03.2012 तक अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में रहे हैं। इस प्रकार अभियुक्त ने न्यायिक अभिरक्षा में कुल 11 दिवस बिताये हैं।

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अंजड़, जिला-बड़वानी म0प्र0

न्यायालय: श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक
मजिस्ट्रेट, अंजड़, जिला-बड़वानी म0प्र0

// धारा 428 द.प्र.सं. के अंतर्गत //

मैं श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़ म0प्र0 आपराधिक प्रकरण क्रमांक 165/2012 (शासन पुलिस अंजड़ विरुद्ध श्यामा आदि) में नीचे लिखे अनुसार अभियुक्त की निरोध अवधि का प्रमाण पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत करता हूँ—

अभियुक्त का नाम :- दयाराम पिता नानु, आयु 40 वर्ष
निवासी—ग्राम वाल्यापानी,
थाना सिलावद, जिला बड़वानी म.प्र.

गिरफ्तारी की दिनांक :- 02.03.2012

पुलिस रिमाण्ड की दिनांक :- निरंक

न्यायिक अभिरक्षा में दिनांक 02.03.2012 से 13.03.2012 तक अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में रहे हैं। इस प्रकार अभियुक्त ने न्यायिक अभिरक्षा में कुल 11 दिवस बिताये हैं।

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अंजड़, जिला-बड़वानी म0प्र0

